

न्यायालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नजूल भूमि निर्वर्तन  
समिति जिला रतलाम (म0प्र0)

RCMS प्रकरण क्रमांक 0104 / अ-20(3) / 2021-22

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग  
भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल ..... आवेदक  
विरुद्ध ..... अनावेदक  
मध्यप्रदेश शासन

:: आदेश ::

(पारित आदेश दिनांक 23/09/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम के द्वारा म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश - 2020 के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम कुआझागर तालाब योजना के डुब में आ रही 20.512 हे0 वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण की जाना प्रस्तावित की गई।

2- प्रकरण पंजीबद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित), की कड़िका- 13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा में प्रकरण में तहसीलदार पिपलौदा से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेशिका दिनांक 22.04.2021 को प्रेषित किया गया। आदेशिका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। भूमि आवंटन के संबंध में सर्वसंबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं नजूल निर्वर्तन निर्देश-2020 की कड़िका-48 (2अ) के अनुसार अभिमत/ परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सचिव ग्राम पंचायत कंसेर के द्वारा दिनांक 28.04.2022 में कुआझागर तालाब परियोजना के एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 20.512 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में अनापत्ति होने का लेख है, एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर या ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-13 (1) के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के द्वारा प्रारूप-5 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित/ सुरक्षित नहीं है। भूमि वाजिब-उल-अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है। भूमि शमशान/ कब्रस्तान/ मरघट इत्यादि की नहीं है। भूमि पर रास्ता, सड़क, पगडंडी मार्ग नहीं है, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं है। प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी बरागाह का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। कुआझागर तालाब परियोजना एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 में से 20.512 हे0 भूमि वन विभाग हेतु भूमि हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी के पत्र क्रमांक 4391/ मा0चि0/2002 रतलाम दिनांक 03/12/2020 के द्वारा ग्राम कुआझागर तालाब निर्माण में 20.512 हे0 वन भूमि प्रभावित होने के एवज में ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि रकबा 24.51 हे0 में से 20.512 हे0 शासकीय भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु सहमति दी गई है।

निरंतर.....2

3- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा से प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी नजूल रतलाम के द्वारा नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब परियोजना के तहत पूर्व में कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख रतलाम के आदेश क्रमांक 733/भूअ0/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 से नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हे० उपलब्ध कराई गई थी। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब योजना) के डुब में आ रही वन भूमि क्रमशः 14.22, 15.00 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे० के स्थान पर हेक्टर पर ग्राम कंसेर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि क्रमांक 118/4 रकबा 27.66 हे० एवं सर्वे क्रमांक 118/3 रकबा 16.40 हे० में से रकबा 1.57 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 22.00 हे० भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार-2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की जाने से शेष भूमि 24.51 हे० में से कुँआझागर तालाब परियोजना एवज में 20.512 हे० भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष शासकीय भूमि रकबा 3.998 हे० भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4- मप्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-8(3) के अंतर्गत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा कुँआझागर तालाब परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि डुब में आने से उसके एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 हे० में से कुँआझागर तालाब परियोजना के एवज में 20.512 हे० भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष भूमि का 3.998 हे० भूमि को पुनः शासकीय अंकित किये जाने की स्वीकृति कंडिका-14 के अनुसार समिति द्वारा कार्रवाई विवरण दिनांक 02/06/2022 की मूल प्रति प्रकरण के संलग्न हैं।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी अधिकारी नजूल के अभिमत के आधार पर एवं कलेक्टर भू-अभिलेख रतलाम के आदेश क्रमांक 733/भूअ0/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 आदेशानुसार नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हे० भूमि उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 से पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब योजना) के डुब में आ रही वन भूमि क्रमशः 14.22, 15.00 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे० के बदले में ग्राम कंसेर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि क्रमांक 118/4 रकबा 27.66 हे० एवं सर्वे क्रमांक 118/3



रकबा 16.40 हे० में से रकबा 1.56 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे० भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार-2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की गई जाने से ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 हे० शेष रही भूमि में से ग्राम कुआँझागर तालाब परियोजना अन्तर्गम वन विभाग की भूमि डुब में आने से वन भूमि के बदले रकबा 20.512 हे० भूमि को म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के अध्याय-2 की कंडिका (16) के तहत म०प्र० शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि जिसकी सीमाएं आवद्ध रेखांक चिह्नित की गई हैं, जिसे नक्शे में लालरूपाही से अंकित किया गया है तथा शेष भूमि रकबा 3.998 हे० भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. राज्य शासन के किसी विभाग को कंडिका 17 के अंतर्गत हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण नहीं होगा।
2. भूमि का उपयोग कंडिका 18 (1) के अंतर्गत 03 वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।
3. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वर्तन समिति  
जिला रतलाम (म.प्र.)

पृ० क्रमांक 3899/रीडर-1/2022

रतलाम, दिनांक 26/9/2022

प्रतिलिपी-

1. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा।
6. जिला वनमण्डल अधिकारी, जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. नजूल अधिकारी, रतलाम।
8. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार पिपलोदा की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि, आदेशानुसार आवंटित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य जिला वनमण्डल अधिकारी जिला रतलाम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर सौंपे तथा शासकीय भू-अभिलेख खसरा नक्शे में अमल दरामद किया जाकर कब्जा रशीद सहित प्रकरण वापस लोटावे। साथ ही मोजा पटवारी शेष भूमि को राजस्व अभिलेख में शासकीय अंकित करे।

पृ. क्रमांक 2428/कमी कुआँझागर के भूमि/2022

रतलाम दि 10/10/22

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग

रतलाम को केन्द्र प्रशासन एवं सावधान्य कामवाही हेतु

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

कलेक्टर

जिला नजूल निर्वर्तन समिति

जिला रतलाम म.प्र.

Forest wing

11/10/22



(पी.के. खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, रतलाम





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 25008143403

वर्ष: 2025-2026

दिनांक: 19-11-2025 07:00:08



ब्लॉक सं.:	ग्राम: कन्सैर	हल्का: कंसेर	तहसील: पिपलोदा	जिला: रतलाम
सर्वेक्षण सं.:	118/4(S)	क्षेत्रफल: 27.6500(बै.बि.)	भू-राजस्व.: 0.00	

भूस्वामी: (शासकीय)

मापांक 1:4000  
0 2 4 6 8sec

Digitally signed by DS COMMISSIONER  
LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1  
Date: 2025.11.19 12:33:09 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record-  
Map Copy  
CLR No. : 25008143403

(हस्ताक्षर)



CLR No. : 25008143402

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख  
खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी  
प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)  
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: कन्सेर		पटवारी हल्का: कंसेर				तहसील: पिपलोदा			जिला: रतलाम			वर्ष: 2025-2026		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार)(रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियाँ	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
431	(शासकीय)		118/4 (S) 27.6500 हेक्टेयर	कृषि	0.00		कुल भू-राजस्व	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
							पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						
							प्रीमियम	0.00						
							शास्ति	0.00						
							योग	0.00						
			कुल क्षे. 27.6500 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00									

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1  
Date: 2025.11.19 12:33:09 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record- Khatoni (B1) Copy  
CLR No. : 25008143402



CLR No. : 25008143401

ग्राम: कन्सैर			पटवारी हल्का: कन्सैर			तहसील: पिपलोदा		जिला: रतलाम			वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1132284813 81M4B8D80YFKH0	118/4 (S)		27.6500 हेक्टेयर	(शासकीय)							
			वन विभाग 27.6500								
			रु. 0.00								

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1  
Date: 2025.11.19 12:33:09 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record- Khasra Copy  
CLR No. : 25008143401